न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–29/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जमालू खां पुत्र सप्पी जाति मेव निवासी ग्राम उंटवाल तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. हकमू पुत्र अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी,
2. असमीना बेवा फकरूदीन,
3. अनीशा पुत्री फकरूदीन,
4. साफिया पुत्री फकरूदीन,
5. रूकसार पुत्री फकरूदीन,
6. अनीश पुत्र फकरूदीन,
7. अन्नू पुत्र फकरूदीन जाति मेव नाबालिगान सरपरस्त जरिये असमीना माताखुद ।
8. हबीब पुत्र अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी,
9. असरफ पुत्र अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी नाबालिगान जर्ये सरपरस्त पिता ।
10. मुबीना पुत्री अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी,
11. सरबीना पुत्री अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी,
12. सरमीना पुत्री अब्दुल रहीम पौत्र सम्मी नाबालिगान जरिये सरपरस्त पिता ।
13. हाकम पुत्र नूरमोहम्मद पौत्र सम्मी,
14. कमली पत्नि सप्पी,
15. सुबेदार पुत्र सप्पी,
16. सुफेदा पुत्र सप्पी,
17. कुर्सेद पुत्र रडकू पौत्र सप्पी,
18. रमजान पुत्र रडकू पौत्र सप्पी,
19. हबीब पुत्र रडकू पौत्र सप्पी,
20. सुमेर पुत्र सरदारा,
21. चाहतू पुत्र सरदारा,
22. समसू पुत्र सरदारा,
23. जुम्मी पुत्र सरदारा,
24. हूरली पुत्री सरदारा,
25. सरीपन पुत्री सरदारा जाति मेव निवासीयान ग्राम उंटवाल तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

10/5

उपस्थित :–
1. श्री उदयसिंह अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार मुदगल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 13

::: निर्णय :::

दिनांक :–10.05.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.1975 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी सप्पी खां ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हुक्मईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 863 रकबा 8 बिस्वा, 864 रकबा 16 बिस्वा, 865 रकबा 2 बीघा, 867 रकबा 12 बिस्वा, 868 रकबा 14 बिस्वा, 861 रकबा 4 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम उटवाल तहसील रामगढ़ के कृषक खातेदार और विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में प्रतिवादीगण किसी किस्म की जबरन मदाखलत ना करें और वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस बरूऐ राजीनामा वादीगण का वाद दि0 06.08.1975 को बरूऐ राजीनामा डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 06.08.1975 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 ल0 13 की ओर से इस न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट मंजूर करने का निवेदन किया गया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । साथ ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का भी अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.1975 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहत अदालत ने बरूये राजीनामा दावा वादी डिक्री किया था तथा आज 40 साल बाद इस डिक्री की अपील पेश की गयी है जिसमें मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने व राजीनामा जो अब प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार अपील स्वीकार करने का अनुतोष चाहा । इसके साथ ही तहत न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 6.8.1975 को निरस्त करके मुताबिक राजीनामा हाल डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया है ।

इस संबंध में कानूनी नजीरों व प्रावधानों का अवलोकन किया गया । धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में डिले कन्डोन करने के जो आधार दिये गये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट ने दिन प्रतिदिन डिले कन्डोन का कोई युक्तियुक्त आधार पेश नहीं किया है तथा तहत न्यायालय का मुताबिक राजीनामा डिक्री की अपील के भी कोई ठोस आधार नहीं बतलाये गये हैं ।

10/5

इसलिए राजीनामा में पारित अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री दिनांक 06.08.1975 की 40 साल बाद की गयी अपील आधारहीन होने तथा मियाद अधिनियम के बिन्दुओं का स्पष्ट आधार नहीं होने से डिले कन्डोन करने के कानूनी आधार नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिजी के योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.1975 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर